



उत्तर प्रदेश सरकार  
 क्रम/नुमांय-2  
 संख्या. 13.7.9 / 36.2.99  
 लखनऊ, दिनांक. 13.09.1999  
 अधिसूचना

अधिसूचना और अन्वयनिर्माण कार्यकारणों के अन्वय में अधिसूचना संख्या 13.7.9/36.2.99 की धारा 42 की उपधारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के तहत नीचे अनुसूची के स्तंभ-2 में उल्लिखित अधिकांशों को धिरी-धीरे नियुक्त करते हैं और उक्त अधिसूचना की ऐसी स्थानीय सीमाएं समुचित करते हैं जहाँ कि उक्त अनुसूची के स्तंभ-3 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित है।

अनुसूची

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
1.	2.	3.
1-	श्री श्री अधिसूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में तैनात राज्यपाल	सम्पूर्ण
2-	अपर/उप/सहायक श्री अधिसूचना और श्री पूर्ण अधिकारी	उत्तर प्रदेश
3-	कारखाना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4-	वेतनों में वृद्धि सभी अपर/उप/सहायक श्री अधिसूचना	अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर।
5-	वेतनों में वृद्धि सभी कारखाना उपनिदेशक/सहायक निदेशक	तद्वैध
6-	वेतनों में वृद्धि सभी श्री पूर्ण अधिकारी	तद्वैध

आज्ञा से,

*(Signature)*  
 डी.पी. साहू  
 सचिव।

160  
 28.9.99  
 Bar  
 K  
 17

*(Signature)*  
 28.9.99